

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India  
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104 ]  
No. 104]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1998/चैत्र 10, 1920  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1998/CHAITRA 10, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

( पत्तन पक्ष )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. कंत्र. नि. 157(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

- |   |  |
|---|--|
| 1. अध्यक्ष  |  |
| 2. उपाध्यक्ष  |  |
| 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी<br>महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, मुम्बई | महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए     |
| 4. संयुक्त सचिव (पत्तन),<br>जल-भूतल परिवहन मंत्रालय             | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए    |
| 5. सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई,                                   | सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए            |
| 6. नेवल आफिसर इंचार्ज, (महाराष्ट्र)                             | रक्षा सेवा (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए        |
| 7. मुख्य प्रखालन प्रबंधक, मध्य रेल, मुम्बई                      | भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                 |
| 8. डा० शांति जी. पटेल   | पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 9.  | श्री एस. आर. कुलकर्णी                            | पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                       |
| 10. | निदेशक (लाइनर एवं यात्री सेवा) भारतीय नौवहन निगम | भारतीय नौवहन निगम लि० (एस. सी. आई.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए              |
| 11. | निदेशक (विपणन प्रभाग) भारतीय तेल निगम लि० मुम्बई | भारतीय तेल निगम (आई. ओ. सी.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                     |
| 12. | श्री रामू एस. देवरा                              | ऑल इंडिया शिपर्स कांसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                          |
| 13. | कैप्टन बी. एस. कुमार                             | भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ (आई. एन. एस. ए.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 14. | श्री अभय कुमार कासलियाल                          | महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए      |
| 15. | श्री राम गांधी                                   | इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए (मुम्बई)               |
| 16. | श्री मार्क एस फर्नांडीज                          | बम्बई कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए                |
| 17. | श्री के. पी. बाइरामजी                            | बम्बई स्टीवडोर संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए                               |
| 2.  | यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी।        |  |

[फा० सं० पी टी-18011/1/97-पी टी]

के० बी० राव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**

(Ports Wing)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 1998

**G.S.R. 157(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial 12 to 17 in the Table as elected to the Trustees on the said Board, namely :—

**TABLE**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Chairman   |  |
| 2. | Dy. Chairman   |  |
| 3. | Chief Executive Officer,<br>Maharashtra Maritime Board, Mumbai | Representing the State Govt. of Maharashtra  |
| 4. | Joint Secretary (Ports),<br>Min. of Surface Transport          | Representing the Min. of Surface Transport   |
| 5. | Commissioner of Customs, Mumbai                                | Representing the Department of Customs       |
| 6. | Naval Officer In Charge, (Maharashtra)                         | Representing the Defence Services (Navy)     |
| 7. | Chief Operation Manager Central<br>Railway, Mumbai             | Representing the Indian Railways             |
| 8. | Dr. Shanti G. Patel  | Representing the Labour employed in the Port |
| 9. | Shri S.R. Kulkarni   | Representing the Labour employed in the Port |

- |   |  |
|---|--|
| 10. Director (Liner and Passenger Services) Shipping Corpn. of India Ltd. | Representing the Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)      |
| 11. Director (Marketing Dvn.) Indian Oil Corporation Ltd., Mumbai         | Representing the Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)             |
| 12. Shri Ramu S. Deora  | Representing the All India Shippers Council                    |
| 13. Capt. B.S. Kumar  | Representing the Indian National Shipowners Association (INSA) |
| 14. Shri Abhaykumar Kasliwal  | Representing the Maharashtra Chamber of Commerce & Industry    |
| 15. Shri Ram Gandhi   | Representing the Indian Merchants' Chamber, Mumbai             |
| 16. Shri Mark S. Fernandes  | Representing the Bombay Customs House Agents' Association      |
| 17. Shri K. P. Byramjee   | Representing the Bombay Stevedores' Association                |
| 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998. |  |

[F. No. PT-18011/1/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 158(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विम्बलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 14 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् : (क्रम सं० 9 और 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों का पद पर बने रहना उनकी यूनियन(नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्वधीन है) :—

## तालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   |   |
| 2. उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास  |   |
| 3. उपाध्यक्ष, एच. डी. सी.  |   |
| 4. सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार                                  | पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए    |
| 5. सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता  | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए            |
| 6. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                     | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए     |
| 7. नेवल ऑफिसर इंचार्ज, पश्चिम बंगाल  | रक्षा सेवा (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए         |
| 8. मुख्य प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्वी रेलवे, कलकत्ता                     | भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                  |
| 9. श्री हेम लाल चटर्जी   | पत्तन में नियोजित श्रामिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 10. श्री पार्वती दास   | पत्तन में नियोजित श्रामिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 11. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम लि०, (एस. सी. आई.) कलकत्ता     | भारतीय नौवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए           |
| 12. कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) भारतीय तेल निगम (आई. ओ. सी.) कलकत्ता | भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए             |

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 13. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी,<br>कलकत्ता | सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी. का प्रतिनिधित्व करने के लिए                   |
| 14. | श्री एच. पी. काबरा   | ऑल इंडिया शिप्स कांसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                     |
| 15. | श्री एच. पी. नोपानी  | कलकत्ता में नौवहन हितों के संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए             |
| 16. | श्री सुमित मजुमदार   | बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए      |
| 17. | श्री समीर कुमार घोष  | बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 18. | श्री पार्थ सधन बोस   | भारत चैम्बर ऑफ कामर्स कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए              |

2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी ।

[फा० सं० पी टी-18011/2/97-पी टी]

के . पी. राव, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1998

**G.S.R. 158(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of person indicated at S.Nos. 9 and 10 is subject to the confirmation of the strength of their union(s) by the check off system introduced).

### TABLE

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | Chairman   |  |
| 2.  | Dy. Chairman, CPT  |  |
| 3.  | Dy. Chairman, HDC  |  |
| 4.  | Secretary, Transport Deptt, Govt. of<br>West Bengal                              | Representing the State Govt. of West Bengal    |
| 5.  | Commissioner Customs, Calcutta   | Representing the Deptt. of Customs             |
| 6.  | Addl. Secy. & F.A., Min. of Surface<br>Transport                                 | Representing the Ministry of Surface Transport |
| 7.  | Naval Officer-in-Charge,<br>West Bengal  | Representing the Defence Services (Navy)       |
| 8.  | Chief Operations Manager, South<br>Eastern Railway, Calcutta.                    | Representing the Indian Railways               |
| 9.  | Shri Hemlal Chatterjee   | Representing the Labour employed in the Port   |
| 10. | Shri Parbati Das   | Representing the Labour employed in the Port   |
| 11. | Regional Genl. Manager, Shipping<br>Corporation of India Ltd. (SCI),<br>Calcutta | Representing the Shipping Corpn. of India Ltd. |

- |  |   |
|--|---|
| 12. Executive Director (Eastern Region),<br>Indian Oil Corpn. Limited, (IOC).<br>Calcutta. | Representing the Indian Oil Corporation Ltd.                                    |
| 13. Chairman-cum-Managing Director,<br>CIWTC, Calcutta                                     | Representing the Central Inland Water Transport<br>Corporation Ltd. (CIWTC)     |
| 14. Shri H.P. Kabra  | Representing the All India Shippers' Council                                    |
| 15. Shri H.P. Nopany   | Representing the Association of Shipping Interests<br>in Calcutta, Calcutta.    |
| 16. Shri Sumit Mazumder  | Representing the Bengal Chamber of Commerce and<br>Industry, Calcutta           |
| 17. Shri Samir Kumar Ghosh   | Representing the Bengal National Chamber of Commerce<br>and Industry, Calcutta. |
| 18. Shri Partha Sadhan Bose  | Representing the Bharat Chamber of Commerce, Calcutta.                          |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F.No. PT-18011/2/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 159(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 तक के व्यक्तियों को कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में न्यासियों के रूप में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—(क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूभियम (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्वधीन है) :—

### तालिका

- |   |   |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष  |   |
| 2. उपाध्यक्ष,   |   |
| 3. सचिव, पत्तन, केरल सरकार                              | —केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए                 |
| 4. सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन                             | —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए           |
| 5. नेवल आफिसर इंचार्ज, केरल                             | —रक्षा सेवाएं (नेवी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए        |
| 6. निदेशक (डिजाइन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय             | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए    |
| 7. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, त्रिवेन्द्रम   | —भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                 |
| 8. श्री वयालर रवि                                       | —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 9. श्री के. पी. एस. मेनन                                | —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन रिफाइनरी लि. कोचीन | —कोचीन रिफाइनरी लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए         |

- |  |  |
|--|--|
| 11. उपाध्यक्ष, समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एम.पी.ई.डी.ए. ) कोचीन | —समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एम.पी.ई.डी.ए. ) कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 12. श्री एस. हजारा   | —इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोशिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                |
| 13. श्री एम.एच. अशरफ   | —कोचीन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए                |
| 14. श्री टी विद्यासागर   | —इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए                |
| 15. श्री सी.बी. अभिशेखर  | —साउथ वेस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोशिएशन कोचीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए                    |
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 को लागू होगी।

[ फा.सं.पी.टी.-18011/3/97-पी.टी. ]

के.पी. राव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31 March, 1998

**G.S.R. 159(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of person indicated at S.Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced).

**TABLE**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Chairman  |  |
| 2. Dy. Chairman,   |  |
| 3. Secretary, Ports, Govt. of Kerala   | —Representing the State Govt. of Kerala.                                       |
| 4. Commissioner of Customs, Cochin   | —Representing the Department of Customs.                                       |
| 5. Naval Officer in Charge, Kerala   | —Representing the Defence Services (Navy).                                     |
| 6. Director (Design), Min. of Surface Transport                                  | —Representing the Ministry of Surface Transport                                |
| 7. Divisional Railway Manager, Southern Railway, Trivandrum.                     | —Representing the Indian Railways.   |
| 8. Shri Vyalar Ravi  | —Representing the Labour employed in the Port                                  |
| 9. Shri K.P.S. Menon   | —Representing the Labour employed in the Port                                  |
| 10. Chairman & Managing, Director, Cochin Refinery Limited, Cochin               | —Representing Cochin Refinery Limited.   |
| 11. Vice-Chairman, Marine Products Export Development Authority, (MPEDA) Cochin. | —Representing the Marine Products Export Development Authority, Cochin (MPEDA) |
| 12. Shri S. Hajara CIWTC, Calcutta   | —Representing Indian National Shipowners' Association (INSA)                   |
| 13. Shri M.H. Ashraff  | —Representing the Cochin Chamber of Commerce & Industry, Cochin.               |
| 14. Shri T. Vidyasagar   | —Representing Indian Chamber of Commerce & Industry, Cochin.                   |

15. Shri C.B. Abyehekar —Representing South Western India Shippers' Association, Cochin.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/3/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 160(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 13 तक के व्यक्तियों को मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 14 से 18 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में न्यासियों के रूप में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—(क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्वधीन है) :—

### तालिका

1. अध्यक्ष
  2. उपाध्यक्ष
  3. सचिव, परिवहन विभाग, तमिलनाडु सरकार —तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  4. विकास सलाहकार (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय —जल-भूतल परिवहन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  5. सीमा शुल्क आयुक्त, मद्रास —सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  6. नेवल आफिसर इंचार्ज, तमिलनाडु —रक्षा सेवाएं (नेवी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  7. मुख्य प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई —भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  8. श्री पी. के. बालाकृष्णन —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  9. श्री जे. एच. फ्रेडरिक आजू —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  10. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम, चेन्नई —भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफाइनरी लि., चेन्नई —मद्रास रिफाइनरी लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  12. मुख्य महाप्रबंधक, एम. एम. टी. सी. लि. चेन्नई —एम. एम. टी. सी. लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  13. सदस्य (जेनरेशन), तमिलनाडु बिजली बोर्ड, चेन्नई —तमिलनाडु बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  14. श्री एस. एन. श्रीकांत —इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  15. श्री पी. मुरारी —आल इंडिया शिपर्स काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  16. श्री अशोक आर. ठक्कर —हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  17. श्री टोनी एडम —सदर्न इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
  18. श्री रणजीत जेसुदासन —मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 को लागू होगी ।

[ फा. सं. पी. टी.-18011/4/97-पी. टी. ]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31 March, 1998

**G.S.R. 160(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of the person indicated at S.Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced)

**TABLE**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Chairman  |   |
| 2.  | Dy. Chairman,   |   |
| 3   | Secretary, Transport Deptt. Govt. of Tamilnadu.                   | —Representing the State Govt. of Tamilnadu.                           |
| 4.  | Dev. Adviser (Ports) Min. of Surface Transport                    | — Representing the Ministry of Surface Transport.                     |
| 5.  | Commissioner of Customs, Madras.                                  | —Representing the Deptt. of Customs                                   |
| 6   | Naval Officer-in-Charge, Tamilnadu                                | —Representing the Defence Services (Navy)                             |
| 7   | Chief Operating Manager, Southern Railway, Chennai                | —Representing the Indian Railways                                     |
| 8.  | Shri V.K. Balakrishnan  | —Representing the Labour employed in the Port                         |
| 9.  | Shri J. H. Frederick Ajoo   | —Representing the Labour employed in the Port                         |
| 10. | Regional Genl. Manager, Shipping Corporation of India, Chennai.   | —Representing the Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)            |
| 11. | Chairman & Managing Director, Madras Refinery Ltd., Chennai.      | —Representing the Madras Refineries Ltd.                              |
| 12. | Chief Genl. Manager, MMTC Ltd., Chennai.                          | —Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Ltd., (MMTC) |
| 13. | Member (Generation), Tamil Nadu Electricity Board (TNEB), Chennai | —Representing the Tamilnadu Electricity Board (TNEB)                  |
| 14. | Shri S. N. Srikant  | —Representing the Indian National Ship-owners' Association (INSA)     |
| 15. | Shri P. Murari.   | —Representing the All India Shippers Council.                         |
| 16  | Shri Ashok R. Thakkar   | —Representing the Hindustan Chamber of Commerce.                      |
| 17. | Shri Tony Adam  | —Representing the Southern Indian Chamber of Commerce and Industry.   |
| 18. | Shri Ranjit Jesudasan   | —Representing the Madras Chamber of Commerce and Industry.            |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/4/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 161(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ



पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—[क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अधधीन है] :—

### तालिका

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव, अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, गोवा सरकार—गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
4. उप सचिव, (पी. टी.), जल भूतल परिवहन मंत्रालय —जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5. सीमा शुल्क आयुक्त, गोवा —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6. मुख्य स्टाफ अधिकारी/प्लैंग अधिकारी, गोवा क्षेत्र —रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
7. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, हुगली —भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए
8. श्री पेड्रो विटो डी कोस्टा —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
9. श्री एस. के. शेदटी —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10. उप महा प्रबन्धक, एम. एम. टी. लि., गोवा —खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम.एम.टी. सी.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
11. महा प्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र) भारत पेट्रोलियम निगम लि., मुम्बई —भारत पेट्रोलियम निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12. श्री सुन्दरलाल आर. ठक्कर —इंडियन नेशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन (आई.एन.एस.ए.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13. श्री चार्ड. तकागी —गोवा खनिज अयस्क एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14. श्री दत्ताराज वी. सालगावकर —गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंड इंडस्ट्री, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
15. श्री डेमियन एच. फर्नांडीज —मुरगांव शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[ फा. सं. पी.टी.-18011/5/97-पी.टी. ]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1998

**G.S.R. 161(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(the continuation of the person indicated at S. Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced)

१२३/७१/१४-२

## TABLE

|   |  |
|---|--|
| 1. Chairman   |  |
| 2. Dy. Chairman   |  |
| 3. Secretary, Deptt. of Inland Water Transport, Govt. of Goa                    | —Representing the State Govt. of Goa                                   |
| 4. Dy. Secy. (PT) Min. of Surface Transport                                     | — Representing the Ministry of Surface Transport                       |
| 5. Commissioner of Customs, Goa   | —Representing the Department of Customs                                |
| 6. Chief Staff Officer/Flag Officer, Goa area                                   | — Representing the Defence Services (Navy)                             |
| 7. Divisional Rly. Manager South Central Railway, Hubli.                        | — Representing the Indian Railways                                     |
| 8. Shri Pedro Vito D' Costa   | — Representing the Labour employed in the Port                         |
| 9. Shri S. K. Shetye  | — Representing the Labour employed in the Port                         |
| 10. Dy. Genl. Manager, MMTTC Ltd., Goa  | — Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Ltd., (MMTC) |
| 11. General Manager (Western Region), Bharat Petroleum Corporation Ltd., Mumbai | — Representing the Bharat Petroleum Corporation Ltd., (BPCL)           |
| 12. Shri Sunderlal R. Thakker   | — Representing the Indian National Ship-owners' Association (INSA)     |
| 13. Shri Y. Takagi  | — Representing the Goa Mineral Ore Exporters' Association, Goa         |
| 14. Shri Dattaraj V. Salgaocar  | — Representing the Goa Chamber of Commerce & Industry, Goa             |
| 15. Shri Damian H. Fernandes  | — Representing the Mormugao Ships' Agents Association, Goa             |
| 2. This notification shall come into force on 1st day of April, 1998.           |  |

[F. No. PT.-18011/5/97-PT]

K.V. RAO, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 162 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 12 और 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—[क्रम सं० 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनियन (नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अधधीन है]

## तालिका

|  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   |   |
| 2. उपाध्यक्ष                                       |   |
| 3. सचिव, पत्तन एवं मत्स्य पालन विभाग, गुजरात सरकार | गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए      |
| 4. उप वित्त सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय       | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 5. सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला                       | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए        |

- |   |  |
|---|--|
| 6. प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात                   | रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                  |
| 7. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, अजमेर                    | भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए   |
| 8. श्री एम. एल. बलानी                               | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                             |
| 9. श्री मोहन के. अश्विनी                            | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                             |
| 10. निदेशक (प्रचालन) तेल समन्वय समिति<br>(ओ सी सी)  | भारतीय तेल निगम लि. (आई ओ सी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                          |
| 11. शाखा प्रबंधक, राज्य व्यापार निगम लि०,<br>कांडला | राज्य व्यापार निगम लि० (एस टी सी ) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                     |
| 12. श्री गिरीश पी. दानी                             | गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए                  |
| 13. श्री विनय कुमार                                 | पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री<br>का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[ फा० सं० पी टी-18011/6/97-पी टी ]

के० वी० राव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 1998

**G.S.R. 162 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 and 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

(the continuation of the person indicated at S. Nos. 8 and 9 is subject to the confirmation of the strength of their union (s) by the check off system introduced)

**TABLE**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Chairman   |  |
| 2. Dy. Chairman   |  |
| 3. Secretary, Deptt. of Ports and Fisheries,<br>Govt. of Gujarat. | —Representing the State Govt. of Gujarat               |
| 4. Dy. Financial Adviser<br>Ministry of Surface Transport         | —Representing the Ministry of Surface Transport        |
| 5. Commissioner of Customs, Kandla                                | —Representing the Deptt. of Customs                    |
| 6. Naval Officer In Charge<br>Gujarat                             | —Representing the Defence Services (Navy)              |
| 7. Divisional Rly. Manager,<br>Ajmer                              | —Representing the Indian Railways                      |
| 8. Shri M. L. Bellani   | —Representing the Labour employed in the Port          |
| 9. Shri Mohan K. Aswani   | —Representing the Labour employed in the Port          |
| 10. Director (Operations)<br>Oil Coordination<br>Committee (OCC)  | —Representing the Indian Oil Corporation Limited (IOC) |

- |   |   |
|---|---|
| 11. Branch Manager, State Trading Corporation Limited, Kandla | —Representing the State Trading Corporation Limited (STC)               |
| 12. Shri Girish P. Dani                                       | —Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry              |
| 13. Shri Binay Kumar  | —Representing the Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/6/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सां. का. नि. 163 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963. (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीप पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 11 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

### तालिका

- |   |   |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष  |   |
| 2. उपाध्यक्ष  |   |
| 3. आयुक्त एवं सचिव, जाणिज्य एवं परिवहन विभाग, ठड़ीसा सरकार      | ठड़ीसा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए                            |
| 4. निदेशक (मैक.), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                       | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए                       |
| 5. सीमा शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर                                 | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए                              |
| 6. प्रभागीय रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्वी रेल खुर्दा रोड           | भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                    |
| 7. नेवल आफिसर इंचार्ज, ठड़ीसा                                   | रक्षा सेवा (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                           |
| 8. महाप्रबंधक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी)         | खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए     |
| 9. कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) | भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए                               |
| 10. सदस्य (जनरेशन) तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टी एन ई सी) चेन्नई     | तमिलनाडु बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए                          |
| 11. श्री जी वी के श्रीराम मूर्ति                                | भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ (आई.एन.एस.ए.) का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 12. कैप्टन डी के मिश्रा   | उत्कल चैम्बर्स ऑफ कानर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए        |

13. श्री बी पी मोहंती  
उड़ीसा चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री  
का प्रतिनिधित्व करने के लिए
2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1998 से लागू होगी।

[ फा० सं० पी टी-18011/7/97-पी टी ]

के० वी० राव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 1998

**G.S.R. 163 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 10 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 11 to 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

**TABLE**

|  |   |
|--|---|
| 1. Chairman  |   |
| 2. Dy. Chairman  |   |
| 3. Commissioner-cum-Secy.<br>Commerce & Transport<br>Deptt., Govt. of Orissa     | —Representing the State Govt. of Orissa                                     |
| 4. Director (Mech.),<br>Ministry of Surface Transport                            | —Representing the Ministry of Surface Transport                             |
| 5. Commissioner of Customs,<br>Bhubaneshwar                                      | —Representing the Deptt. of Customs   |
| 6. Divisional Rly. Manager,<br>South Eastern Railway,<br>Khurda Road             | —Representing the Indian Railways   |
| 7. Naval Officer-in-Charge,<br>Orissa  | —Representing the Defence Services (Navy)                                   |
| 8. General Manager,<br>Minerals and Metals Trading<br>Corporation Limited (MMTC) | —Representing the Minerals and Metals Trading Corporation<br>Limited (MMTC) |
| 9. Executive Director<br>(Eastern Region), Indian Oil<br>Corporation Ltd. (IOC)  | —Representing the Indian Oil Corporation Limited (IOC)                      |
| 10. Member (Generation)<br>Tamilnadu Electricity Board<br>(TNEB). Chennai        | —Representing the Tamilnadu Electricity Board (TNEB)                        |
| 11. Shri G. V. K. Srirama Murthy   | —Representing the Indian National Shipowners' Association (INSA)            |
| 12. Capt. D. K. Mishra   | —Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry                    |

13. Shri B. P. Mohanty —Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry,

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.

[F. No. PT-18011/7/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998

सा. का. नि. 164(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1 से 12 तक के व्यक्तियों को विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम सं० 13 से 15 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में न्यासियों के रूप में चुने गए व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—(क्रम सं. 8 और 9 पर उल्लिखित व्यक्तियों का बने रहना उनकी यूनिन(नों) की संख्या की लागू जांच प्रणाली द्वारा पुष्टि के अध्वधीन है)

### तालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   |   |
| 2. उपाध्यक्ष   |   |
| 3. विशेष आयुक्त, पत्तन एवं पत्तन निदेशक, काकीनाडा, आंध्रप्रदेश सरकार | —आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                                      |
| 4. निदेशक (पी.डी.) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                           | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                                 |
| 5. सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम                                   | —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।  |
| 6. प्रभागीय रेलवे प्रबंधक दक्षिण पूर्वी रेलवे, चालटेयर               | —भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए।  |
| 7. नेवल आफिसर इंचार्ज, आंध्र प्रदेश                                  | —रक्षा सेवाएं (नेवी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                                     |
| 8. श्री डी. के. शर्मा  | —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                              |
| 9. श्री जी. जगन्नाथा राव   | —पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                              |
| 10. महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., विशाखापत्तनम  | —हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., विशाखापत्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।      |
| 11. महाप्रबंधक, खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड                    | —खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                       |
| 12. निदेशक (जाणिष्यिक) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विजाग              | —विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                 |
| 13. श्री सी. वी. अच्युत राव  | —फेडरेशन आफ आंध्रप्रदेश चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 14. श्री वी. बी. वी. रेड्डी  | —विशाखापत्तनम चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।           |
| 15. श्री के.वी. कृष्ण कुमार  | —इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                         |

2.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1998 को लागू होगी।

[फा. सं. पी.टी.-18011/8/97-पी.टी.]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 1998

**G.S.R. 164 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

**TABLE**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Chairman  |  |
| 2. Dy. Chairman  |  |
| 3. Spl. Commissioner, Ports & Director of Ports, Kakinada, Govt. of A.P.   | —Representing the State Govt. of Andhra Pradesh                                  |
| 4. Director (PD) Ministry of Surface Transport                             | —Representing the Min. of Surface Transport                                      |
| 5. Commissioner of Customs, Visakhapatnam                                  | —Representing the Department of Customs  |
| 6. Divisional Railway Manager, South Eastern Railway, Waltair.             | —Representing the Indian Railways  |
| 7. Naval Officer-in-Charge, Andhra Pradesh                                 | —Representing the Defence Services (Navy)  |
| 8. Shri D. K. Sarma  | —Representing the Labour employed in the Port                                    |
| 9. Shri G. Jagannadha Rao  | —Representing the Labour employed in the Port                                    |
| 10. General Manager, Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. (HPCL), Visakhapatnam | —Representing the Hindustan Petroleum Corporation Ltd., (HPCL), Visakhapatnam    |
| 11. General Manager, Minerals & Metals Trading Corporation Limited.        | —Representing the Minerals and Metals Trading Corporation Ltd. (MMTC)            |
| 12. Director (Commercial), Visakhapatnam Steel Plant, Vizag.               | —Representing the Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam                       |
| 13. Shri C. V. Atchut Rao  | —Representing the Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry. |
| 14. Shri V.B.V. Reddy  | —Representing the Visakhapatnam Chamber of Commerce and Industry                 |
| 15. Shri K. V. Krishna Kumar   | —Representing the Indian National Shipowners' Association (INSA).                |
| 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1998.  |  |

[F. No. PT-18011/8/97-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

